

एक सहायता कार्यक्रम भी है जो लोगों की उनके जीवन को ठीक करने और पुनर्निर्माण करने में सहायता करता है। यह कार्यक्रम लोगों को रहने के लिए किसी सुरक्षित स्थान की खोज करने में सहायता करता है, चिकित्सीय देखभाल, काउंसलिंग तथा कानूनी और माइग्रेशन सलाह, वित्तीय सहायता, शिक्षा और प्रशिक्षण या नौकरी ढूँढने, तथा समाजिक संपर्क पाने के लिए सहायता प्रदान करता है। इस कार्यक्रम के बारे में रैड क्रॉस आपको और अधिक बता सकता है।

इस काम के लिए, सामाजिक कार्य विभाग द्वारा, ट्रेफिकड पीपल प्रोग्राम के लिए सहायता के तहत धनराशि उपलब्ध कराई जाती है।

और अधिक जानकारी या गोपनीय सलाह के लिए कृपया ऑस्ट्रेलियन रैड क्रॉस से संपर्क करें।

फो. 03 9345 1800

ई. national_stpp@redcross.org.au

redcross.org.au/workrighthub

This Modern Slavery grant activity received grant funding from the Australian Government.

HINDI



ऑस्ट्रेलिया में आधुनिक गुलामी प्रचलित है



अगर आपका या आपके किसी जान-पहचान वाले का शोषण हो रहा है, तो सहायता उपलब्ध है।

काम पर आपके साथ उचित बर्ताव होना चाहिए

ऑस्ट्रेलिया में सभी कर्मचारियों के मूल अधिकार होते हैं जो कानून द्वारा संरक्षित होते हैं। ये कानून विदेशों से आए कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों की रक्षा करते हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया में उनके रहने की अवधि कितनी भी हो या उनका वीजा किसी भी प्रकार का हो।

ऑस्ट्रेलिया में काम पर गंभीर शोषण एक अपराध है

अगर आप या आपके किसी जान-पहचान वाले:

- से जबरदस्ती काम कराया जा रहा है या काम पर सुरक्षित नहीं हैं
- से बहुत कम समय के ब्रेक के साथ लंबे समय तक काम कराया जाता है
- को उचित तनख्वाह नहीं मिलती
- को यात्रा, आवास, कपड़े, भोजन, परिवहन या काम के दस्तावेजों के लिए एक भर्तीकर्ता या नियोक्ता को एक बड़ा कर्जा चुका रहे हैं
- अपना कार्य स्थल नहीं छोड़ सकते या शर्तों पर बातचीत नहीं कर सकते
- को काम पर डराया या धमकाया जा रहा है, जैसे कि उनसे कहा जा रहा है कि उन्हें निर्वासित कर दिया जाएगा या परिवार के सदस्यों को नुकसान पहुंचाया जाएगा
- अपने पासपोर्ट या अन्य पहचान दस्तावेजों तक नहीं पहुंच सकते
- किसी के घर में काम कर रहे हैं और कभी-कभार ही बाहर निकल पाते हैं

सहायता उपलब्ध है

सहायता कैसे प्राप्त करें

रैड क्रॉस सलाह और सहायता देता है, तथा आपको सहायता के लिए अन्य सेवाओं के पास भी भेज सकता है। दुभाषिया सेवाएं उपलब्ध हैं।

**03 9345 1800 पर फोन करें या
national_stpp@redcross.org.au
पर ईमेल करें**

अपने कार्यस्थल अधिकारों के बारे में जानकारी के लिए, आप www.fairwork.gov.au पर जा सकते हैं, फेयर वर्क ऑमबुड्समैन से 13 13 94 पर फोन करके संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको एक दुभाषिये की जरूरत है, तो अनुवाद व दुभाषिया सेवा को 13 14 50 पर फोन करें।

अगर कोई आपातस्थिति है या किसी की सुरक्षा खतरे में है तो पुलिस को 000 पर फोन करें।

आधुनिक गुलामी के एक संभावित मामले की खबर देने के लिए ऑस्ट्रेलियन फ़ेडरल पुलिस को 131 237 पर फोन करें।